उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

गुरुवार, 01 फाल्गुन, शक संवत् 1946

(20 फरवरी, 2025)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-वित्त मंत्री, वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक को प्रस्तुत करेंगे।

2-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क' व 'ख')।

3-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1503/ग्यारह-2-24-9(47)-17-टी0सी0-269-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (332)-2024, दिनांक 07 जनवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

4-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1650/ग्यारह-2-24-9(47)-17-टी0सी0-270-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (333)-2024, दिनांक 08 जनवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

5-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1664/ग्यारह-2-24-9(47)-17-टी0सी0-271-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (334)-2024, दिनांक 08 जनवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

6–मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1665/ग्यारह-2-24-9(47)-17-टी0सी0-272-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (335)-2024, दिनांक 08 जनवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

7–नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2023-24 को उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 की धारा-28 की उपधारा (2) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

8–उप मुख्य मंत्री, प्रदेश में बी-फार्मा एलोपैथिक की नियमित नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 मान सिंह यादव व श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

9–आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-पीलीभीत में स्थित जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी कार्यालय में तैनात श्री संदीप मौर्य, कनिष्ठ लिपिक (स्थानीय निवासी) के द्वारा किये जा रहे दुर्व्यवहार/अभद्र भाषा जैसे कृत्य के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 सुधीर गुप्ता व डा0 हरी सिंह ढिल्लो, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

10–उप मुख्य मंत्री, जनपद-आजमगढ़ के चक्रपानपुर स्थित पैरामेडिकल कालेज की दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री राम सूरत राजभर व श्री ओम प्रकाश सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

11–उप मुख्य मंत्री, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में कार्यरत संविदा कर्मियों के वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में डा0 मान सिंह यादव व श्री लाल बिहारी यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

12–उप मुख्य मंत्री, श्री राजेश, फार्मासिस्ट, पी0ए0सी0 कटरा बक्कास अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोसाईगंज, लखनऊ द्वारा वर्ष 2015 में निजी चिकित्सालय एवं

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से एक साथ वेतन आहरित करने के कारण उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र चौधरी व श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

13-पर्यटन मंत्री, जनपद-हरदोई के ग्राम-समुखा में विकास खण्ड-माधौगंज में स्थित शंकर जी के प्राचीन देव स्थान को पर्यटन केन्द्र घोषित करने के सम्बन्ध में श्री अशोक अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

14-आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुर्वेदिक-यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रमाण-पत्र एवं बायोमेडिकल वेस्ट प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम तीर्थ सिंघल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

15-उप मुख्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में कार्यरत लैब टेक्नीशियनों की सेवा नियमावली बनाये जाने एवं वरिष्ठता का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

16-बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री, प्रधानमंत्री मातृ वन्दन योजना के बन्द विभागीय पोर्टल को पुनः शुरू किये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

17-आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 113 आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के परिणाम घोषित होने के 11 महीने बाद भी नियुक्ति-पत्र प्राप्त न होने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

18-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-सिजारों, विकास खण्ड-बंगरा,

जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से श्री चाड़कन सरकार महाराज की जगह एक टीन शेड लगवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

19-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-सिलगुवां, विकास खण्ड-बंगरा, जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

20-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-अकैचन्दपुर टप्पा, विकास खण्ड-लहरपुर, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'ङ')

21-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-गेरूहा माफी, विकास खण्ड-बिसवां, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'च')

22-इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-खेमीपुर संजलपुर, विकास खण्ड-माधौगंज, जनपद-हरदोई के निवासियों की ओर से सामुदायिक भवन/बारात घर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'छ')

23-इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-रूकनापुर, विकास खण्ड-माधौगंज, जनपद-हरदोई के निवासियों की ओर से सामुदायिक भवन/बारात घर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'ज')

24-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-देवरी रूखारा, विकास खण्ड-बक्शी का तालाब, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'झ')

25-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-देवरी रूखारा, विकास खण्ड-बक्शी का तालाब, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'ञ')

26-श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-कन्थरी जाफरपुर, विकास खण्ड-रामनगर, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'ट')

27-श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-चौडेरा, विकास खण्ड-फरीदपुर, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'ठ')

28-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-सियाथू, मजरा बैकुण्ठा, विकास खण्ड-बेहजम, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से मुक्तिधाम की बाउण्ड्रीवाल एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'ड')

29-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-दरिगापुर, विकास खण्ड-ईशानगर, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'ढ')

30–श्री अशोक अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत बालाजी इन्क्लेव, मुतक्कीपुर, निकट प्रधान मैरिज हॉल, आई0आई0एम0 रोड, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क, नाली व सीवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'ण')

31–श्री अश्विनी त्यागी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा प्रस्तुत तथा श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार जारी (द्वितीय दिवस) :-

''यह सदन मा0 राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 18 फरवरी, 2025 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिये देखिये नत्थी 'त')

32–श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2024 की बैठक में प्रस्तुत संकल्प पर विचार जारी :-

''इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश सरकार की नगरीय विस्तारीकरण की महत्वाकांक्षी योजना में बाधक बने भू-माफियाओं पर अंकुश लगाते हुये कठोर कार्यवाही की जाय।''

33–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 की बैठक में प्रस्तुत संकल्प पर विचार प्रारम्भ :-

''इस सदन का निश्चित मत है कि विधान मण्डल सदस्यों को क्षेत्र विकास हेतु मिलने वाली विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि को जी0एस0टी0 से बाहर रखते हुये भारत सरकार से अनुरोध किया जाय।''

34–श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 की बैठक में प्रस्तुत संकल्प पर विचार प्रारम्भ :-

''इस सदन का निश्चित मत है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक शोभा एवं मानव स्वास्थ्य के लिये पर्यावरण की सुरक्षा, विकास का अनिवार्य भाग है।''

लखनऊ :
गुरुवार, 01 फाल्गुन, शक संवत् 1946
(20 फरवरी, 2025)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/प्राप्त होने की तिथि
****1**	**14-2-2025**

नत्थी 'क'

गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी, सन् 2025 ई0

अल्पसूचित प्रश्न

बुन्देलखण्ड में बेसहारा/निराश्रित घायल गौवंश की निःशुल्क चिकित्सा एवं गौशाला स्थापित किये जाने के हेतु निजी संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
1

**1-(क) क्या पशुधन मंत्री बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड में बेसहारा/निराश्रित गौवंश से सड़क मार्ग पर चलने वाले वाहनों से कितनी दुर्घटनायें प्रकाश में आयी हैं ? — पशुधन मंत्री

(ख) दुर्घटना में घायल गौवंश की चिकित्सा हेतु बुन्देलखण्ड में कितने पशु चिकित्सालय क्रियाशील हैं, उसका विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) बुन्देलखण्ड में बेसहारा/निराश्रित घायल गौवंश की निःशुल्क चिकित्सा एवं गौशाला स्थापित किये जाने हेतु निजी संस्थाओं के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ?

(घ) क्या प्राप्त प्रस्तावों पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
* 1	10-2-2025
* 2	10-2-2025
* 3	10-2-2025
* 4	10-2-2025
* 5	10-2-2025
* 6	10-2-2025
* 7	12-2-2025
* 8	12-2-2025
* 9	12-2-2025
*10	13-2-2025

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
अतारांकित प्रश्न	
1	10-2-2025
2	10-2-2025
3	10-2-2025
4	11-2-2025
5	11-2-2025
6	11-2-2025
7	11-2-2025
8	13-2-2025
9	13-2-2025
10	13-2-2025

नत्थी 'ख'

गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी, सन् 2025 ई0

तारांकित प्रश्न

वर्ष 2022-23, 2023-24 व 2024-25 में प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान तथा सुविधाओं के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव
1

उप मुख्य मंत्री

*1-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 व 2024-25 में प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में वर्षवार मरीजों के इलाज की सुविधाओं में क्या-क्या बढ़ोत्तरी की गयी है ?

(ख) क्या प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि भी हो रही है ?

(ग) यदि हाँ, तो सरकार स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान हेतु क्या-क्या कार्य कर रही है और इसकी देख-रेख जनपद के किन-किन अधिकारियों की निगरानी में किया जा रहा है ?

(घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि, नहीं तो क्यों ?

दिनांक 31 जनवरी, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जिला चिकित्सालयों में मरीजों के इलाज के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 2 — *2-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि दिनांक 31 जनवरी, 2024 से दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जिला चिकित्सालयों में किस रोग के सर्वाधिक मरीजों का इलाज किया गया है ? — उप मुख्य मंत्री

(ख) क्या शासन स्तर के अधिकारियों द्वारा वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ के जिला चिकित्सालयों में निरीक्षण भी उक्त अवधि में किया गया है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं तो क्यों ?

सैफई मेडिकल कालेज, उ0प्र0 में डॉक्टरों की तैनाती के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव 3 — *3-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि सैफई मेडिकल कालेज में इस समय कितने डॉक्टर हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? — उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि रिक्त पद हैं, तो डॉक्टरों की तैनाती कब तक करायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 4 — *4-[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

जनपद-मैनपुरी के जिला अस्पताल में डॉक्टरों के रिक्त पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव 5 — *5-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के जिला अस्पताल में इस समय कितने डॉक्टर हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? — उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि रिक्त पद हैं, तो डॉक्टरों की तैनाती कब तक करायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

गैस्ट्रो लीवर चिकित्सालय, पैडलगंज, गोरखपुर में हुयी घटना की जाँच के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 6 — उप मुख्य मंत्री

*6–(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम गुरुवार को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या-7 के क्रम में बतायेंगे कि गैस्ट्रो लीवर चिकित्सालय, पैडलगंज, गोरखपुर में डा0 माधवी सरकार को निजी चिकित्सालय में योगदान देने एवं मरीज के साथ किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत की जांच किस स्तर से करायी गयी है तथा जांच में क्या निष्कर्ष सामने आए ?

(ख) क्या जांच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद सहारनपुर के शेखुल हिन्द मौलाना मेडिकल कालेज में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 7 — उप मुख्य मंत्री

*7–(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि जनपद सहारनपुर में शेखुल हिन्द मौलाना मेडिकल कालेज में सी0टी0 स्कैन व अन्य सुविधायें नहीं हैं, जिस कारण मरीजों को बाहर हायर सेन्टर जाना पड़ता है ?

(ख) यदि हां, तो कब तक यह सब सुविधायें सुचारु रूप से चालू हो जायेंगी ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक नियन्त्रण सिग्नल पर भीख मांगने वाली निराश्रित महिलाओं एवं अबोध बच्चों के प्रति कल्याणकारी योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 8 — महिला कल्याण मंत्री

*8-(क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक नियन्त्रण सिग्नल रेड होने पर चौराहे पर एकाएक दुधमुहे बच्चे को लेकर महिलायें एवं कम उम्र के बच्चों के द्वारा भीख माँगी जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो इनकी कुल संख्या कितनी है ?

(ग) क्या ऐसे निरीह एवं गरीब मैले-कुचैले बच्चों एवं महिलाओं को भीख न माँगना पड़े सरकार द्वारा कोई नीति स्थापित की गई है ?

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

(ङ) क्या इस तरह के निराश्रित महिलाओं एवं अबोध बच्चों के प्रति कल्याणकारी योजना बनाने पर विचार करेंगे ?

श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह उर्फ पूनम सिंह
9

*9-[माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित।]

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बेसहारा/निराश्रित गौवंश के संरक्षण की योजना संचालित किये जाने के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
10

*10-(क) क्या पशुधन मंत्री बतायेंगे कि बेसहारा/निराश्रित गौवंश संरक्षण योजना के अन्तर्गत प्रदेश में निराश्रित गौवंश आश्रम स्थलों की संख्या कितनी है ? — पशुधन मंत्री

(ख) बेसहारा/निराश्रित गौवंश आश्रम में कितने गौवंश संरक्षित किये गये हैं ?

(ग) प्रति गौवंश आश्रम पर पशुपालन विभाग द्वारा क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ?

(घ) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बेसहारा/निराश्रित गौवंश के संरक्षण की पशुपालन विभाग द्वारा कोई विशेष योजना संचालित की जा रही है, उसका विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

अतारांकित प्रश्न

श्री अशोक अग्रवाल
1

1-(क) विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम गुरुवार, दिनांक 08-02-2024 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न सं0-04 के क्रम में क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बताएंगे की एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में कोरोना मानदेय/प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किए जाने सम्बन्धी विभागाध्यक्ष माइक्रोबायोलॉजी विभाग के पत्र सं0-पी0जी0आई0/माइक्रो/115/2024, दिनांक 31-01-2024 व पत्र संख्या- पी0जी0आई0/माइक्रो/116/2024, दिनांक 31-01-2024 तथा पत्र संख्या पी0जी0आई0/माइक्रो/328/2024, दिनांक 20-03-2024 के साथ संलग्न सूची संस्थान के किन-किन अधिकारियों को प्राप्त हुई है, उनके नाम क्या हैं ? — उप मुख्य मंत्री

(ख) उक्त पत्रों के साथ में संलग्न सूची में उल्लिखित नामों में अब तक कुल कितने कर्मियों को मानदेय/प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक अग्रवाल
2

2-(क) क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनाँक 15-10-2024, जो आपको सम्बोधित जनपद हरदोई, तहसील-बिलग्राम, वि0ख0-माधौगंज के ग्राम समुखा में देव — पर्यटन मंत्री

स्थान शंकर जी के मंदिर हेतु मूलभूत पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे तथा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) क्या देव स्थान शंकर जी में पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु सर्वे जिला स्तर पर कराया गया है ?

(घ) यदि हाँ, तो क्या-क्या कार्य कराये जाने हैं तथा उन पर कितना धन आगणनानुसार व्यय होना है ?

(ङ) जनहित में उक्त प्राचीन देव स्थान शंकर जी के मंदिर में मूलभूत पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर कब तक पूर्ण करायेंगे ?

श्री अशोक अग्रवाल 3 — उप मुख्य मंत्री

3-(क) क्या उप मख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि एस0जी0पी0जी0आई0 कर्मचारी महासंघ का पत्र दिनांक 25-11-2024 आर0एस0डी0 नं0-432794, जो निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ को सम्बोधित है तथा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन व अन्य को पृष्ठांकित है, प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र किस विषय से सम्बन्धित है तथा उसमें क्या लिखित है ?

(ग) उक्त पत्र पर निदेशक द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता 4 — पशुधन मंत्री

4-(क) क्या पशुधन मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-349 बीजेपी यूपी-2024, दिनांक 17-12-2024, जो कि ग्राम पंचायत गेरावाँ, विकास खण्ड हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी, उ0प्र0 की गौशाला में विभिन्न मदों से प्राप्त धनराशि की अनियमितता तथा गौशाला में जीवित/मृत गौवंशों को कुत्तों द्वारा नोचकर खाने की उच्चाधिकारियों से जांच कराकर जिम्मेदार लापरवाह अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बाराबंकी को भी प्रेषित था, कब प्राप्त हुआ ?

(ख) उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ?

(ग) क्या जांच कराकर लापरवाह, जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही की गयी है ?

(घ) यदि हाँ, तो क्या ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक अग्रवाल 5	5-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में संविदा/आउटसोर्सिंग के प्रत्येक संवर्ग में संवर्गवार कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? (ख) क्या संविदा/आउटसोर्सिंग की भर्ती में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश फाइल नं0-71-20199/961/2021-2-1/106322/2021 दिनांक 11-10-2021 का पालन हो रहा है ? (ग) यदि हाँ, तो प्रत्येक संवर्ग में संवर्गवार अनारक्षित/एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? (घ) क्या संस्थान में संविदा/आउटसोर्सिंग में आरक्षण कोटा पूर्ण कर लिया गया है ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 6	6-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुभाग में विचाराधीन चिकित्सा प्रतिपूर्ति जो कि जनपद सोनभद्र के अभिसूचना विभाग में कार्यरत कार्मिकों की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए स्वीकृत किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30 जनवरी, 2025, जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त दावे शासन में कब प्राप्त हुये हैं और अभी तक स्वीकृत न होने के लिये कौन-कौन कार्मिक उत्तरदायी हैं ? (ग) कब तक समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति को स्वीकृत करायेंगे ?	उप मुख्य मंत्री
श्री आशुतोष सिन्हा 7	7-(क) क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ के मण्डलों के अन्तर्गत दिनांक 31 जनवरी, 2024 से दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक कितने लोगों को उक्त विभाग की प्रचलित योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	पशुधन मंत्री

श्री राम सूरत राजभर 8	8-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड-पल्हना में ब्लाक स्वास्थ्य इकाई का गठन हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो कब ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
श्री किरण पाल कश्यप 9	9-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन के शासनोदश संख्या-873 (1)/पांच-5-2018-मले0-84/2018, अक्टूबर, 2018 के पत्र में सम्यक् विचारोपरान्त सहायक निदेशक के पद पर जिला मलेरिया अधिकारी से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का निर्णय लिया गया है ? (ख) वर्ष 2018 के उक्त शासनोदश के उपरान्त कितने लोगों को सहायक निदेशक के पद पर जिला मलेरिया अधिकारी से पदोन्नत किया गया है ? (ग) डेंगू, मलेरिया, जे0ई0 के रोकथाम हेतु मण्डल स्तर पर सहायक निदेशक के कितने पद रिक्त हैं ?	उप मुख्य मंत्री
श्री किरण पाल कश्यप 10	10-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि अपर निदेशक, मलेरिया एवं बी0बी0डी0 उत्तर प्रदेश के पंत्राक संख्या-माल0ए0/एम0आई0/वेतन विसं0/2021-22/452 के क्रम में मलेरिया निरीक्षक एवं फाइलेरिया निरीक्षकों के पदों को संविलियन कर उच्चीकृत वेतनमान ग्रेड पे-2800 कर दिया गया है ? (ख) यदि हाँ, तो कब ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री

नत्थी ‘ग’

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-झाँसी के अन्तर्गत विकास खण्ड-बंगरा, ग्राम-सिजारों में श्री चाड़कन सरकार महाराज की जगह पर एक टीन शेड लगवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम सिजारों विकास खण्ड-बंगरा, जिला झाँसी के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम-सिजारों श्री चाड़कन सरकार महाराज की जगह पर एक टीन शेड लगवाये जाना अति आवश्यक है। जिसका लम्बाई-चौड़ाई 100X60 मीटर है। जिससे निवासियों को शादी व अन्य कार्यक्रमों आदि के लिये सुख-सुविधा हो सके। गांव के निवासियों द्वारा गाँव में टीन शेड लगवाये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि टीन शेड लगवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-झाँसी के अन्तर्गत विकास खण्ड-बंगरा, ग्राम पंचायत-सिलगुवां में मेन रोड से श्री तिवारी बाबा तक नाली एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-सिलगुवां विकास खण्ड-बंगरा, जिला झाँसी के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत-सिलगुवां मेन रोड से श्री तिवारी बाबा तक नाली एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाना अति आवश्यक है। जिससे गाँव के निवासियों को आने-जाने में असुविधा न हो सके। गांव के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग व नाली का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-लहरपुर के ग्राम पंचायत-अकैचन्द्रपुर टप्पा में हुसैन के मकान से स्कूल से होते हुए वसीम खान के मकान तक लगभग 130 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड़ बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण पंचायत-अकैचन्द्रपुर टप्पा, विकास खण्ड-लहरपुर, जिला सीतापुर के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम-अकैचन्द्रपुर में हुसैन के मकान से स्कूल से होते हुये वसीम खान के मकान तक लगभग 130 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाना अति आवश्यक है। उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त होने के

कारण निवासियों को मार्ग पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है गांव के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-बिसवां, ग्राम-गेरूहा माफी में श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव के मकान से मन्दिर होते हुए किरण मिश्रा के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम-गेरूहा माफी विकास खण्ड-बिसवां, जिला सीतापुर के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम-गेरूहा माफी श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव के मकान से मन्दिर होते हुए किरण मिश्रा के मकान तक मार्ग बहुत क्षतिग्रस्त अवस्था में होने के कारण निवासियों को मार्ग पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद हरदोई के अन्तर्गत विकास खण्ड-माधोगंज, ग्राम-खेमीपुर संजलपुर में सामुदायिक उपयोग हेतु भवन/शादी घर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम-खेमीपुर संजलपुर विकास खण्ड-माधोगंज, जिला हरदोई के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम-खेमीपुर संजलपुर में सामुदायिक आयोजन हेतु किसी प्रकार का सामुदायिक भवन नहीं है। जिससे स्थानीय निवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव के निवासियों द्वारा गाँव में भवन/शादी घर निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि सामुदायिक आयोजन हेतु भवन/शादी घर निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-हरदोई के अन्तर्गत विकास खण्ड-माधोगंज, ग्राम-रूकनापुर में सामुदायिक उपयोग हेतु भवन/शादी घर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम-रूकनापुर, विकास खण्ड-माधोगंज, जिला-हरदोई के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम-रूकनापुर में सामुदायिक आयोजन हेतु किसी प्रकार का सामुदायिक भवन नहीं है। जिससे

स्थानीय निवासियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। गांव के निवासियों द्वारा गांव में भवन/शादी घर निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि सामुदायिक आयोजन हेतु भवन/शादी घर निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'झ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत विधान सभा-169, बख्शी का तालाब ग्राम पंचायत-देवरी रुखारा में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-देवरी रुखारा विधान सभा-169, बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत-देवरी रुखारा में अन्त्येष्टि स्थल न होने के कारण निवासियों को अन्त्येष्टि करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत में सात ग्राम लगते हैं जिसमें लगभग सात हजार लोग निवास करते हैं अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया किन्तु आज तक स्थानीय प्रशासन से कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
07 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ञ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद लखनऊ के अन्तर्गत विधान सभा-169, बख्शी का तालाब, ग्राम पंचायत-देवरी रूखारा में सुखड़ी ग्राम को जाने वाली सड़क का नवीनीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत- देवरी रूखारा विधान सभा-169, बख्शी का तालाब, जिला-लखनऊ के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत देवरी रूखारा से ग्राम सुखड़ी को जाने वाली सड़क बहुत जर्जर अवस्था में है। जिसकी लम्बाई लगभग 550 मीटर है। उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण वहां के निवासियों को उक्त मार्ग पर चलने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण उक्त मार्ग पर कई दुर्घटनायें भी हो चुकी हैं। सड़क का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक स्थानीय प्रशासन से कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त सड़क का नवीनीकरण का कार्य कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

08 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ट'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद बरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड-रामनगर, ग्राम-कन्थरी जाफरपुर से ग्राम मजरा विजई नगला तक में लगभग 800 मीटर डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम-कन्थरी जाफरपुर, विकास खण्ड-रामनगर, जिला-बरेली के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम-कन्थरी जाफरपुर से ग्राम मजरा विजई नगला तक में लगभग 800 मीटर रोड बहुत

क्षतिग्रस्त अवस्था में होने के कारण निवासियों को रोड पर चलने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण उक्त रोड पर कई दुर्घटनायें भी होती रहती हैं। गांव के निवासियों द्वारा उक्त रोड का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि डामर रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
09 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ठ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-बरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड-फरीदपुर, ग्राम-चौडेरा, में बड़ी नहर से मन्दिर तक (दक्षिण मार्ग पर) लगभग 200 मीटर खड़ण्जा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम-चौडेरा, विकास खण्ड-फरीदपुर, जिला बरेली के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम-चौडेरा में बड़ी नहर से मन्दिर तक (दक्षिण मार्ग पर) लगभग 200 मीटर मार्ग बहुत क्षतिग्रस्त अवस्था में होने के कारण निवासियों को मार्ग पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण उक्त मार्ग पर कई दुर्घटनायें भी होती रहती हैं। गांव के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि खण्डजा मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
10 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ड'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड-बेहजम, ग्राम पंचायत-सियाथू, मजरा बैकुण्ठा में मुक्तिधाम की बाउण्ड्रीवाल और सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-सियाथू, विकास खण्ड-बेहजम, जिला लखीमपुर खीरी के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत-सियाथू में बैकुण्ठा में मुक्तिधाम की बाउण्ड्रीवाल और सौन्दर्यीकरण कराया जाना है। गांव के निवासियों द्वारा उक्त का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि बैकुण्ठा में मुक्तिधाम की बाउण्ड्रीवाल और सौन्दर्यीकरण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ढ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड-ईशानगर, ग्राम पंचायत-दरिगापुर में कसौली पेन्टेड रोड से दरिगापुर बाजार से प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर तक सी0सी0 पेन्टेड रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण पंचायत-दरिगापुर, विकास खण्ड-ईशानगर, जिला लखीमपुर खीरी के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत दरिगापुर में कसौली पेन्टेड रोड से दरिगापुर बाजार से प्राथमिक

विद्यालय सुल्तानपुर तक सी0सी0 पेन्टेड रोड का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। जिससे गाँव के निवासियों को आने-जाने में असुविधा न हो सके। गांव के निवासियों द्वारा उक्त रोड का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि कसौली पेन्टेड रोड से दरिगापुर बाजार से प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर तक सी0सी0 पेन्टेड रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ण'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखनऊ, बालाजी इन्क्लेव लेन नं0-7 (सात), मुतक्कीपुर, आई0आई0एम0 रोड (नियर प्रधान मैरिज हॉल), के कॉलोनी में मार्गों पर सी0सी0 मार्ग व नाली एवं सीवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण बाला जी इन्क्लेव लेन-7 (सात), मुतक्किपुर, आई0आई0एम0 रोड (नियर प्रधान मैरिज हाल), लखनऊ के निवासी हैं। हमारी कॉलोनी की रोड पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त है उक्त मार्ग श्री सुभाष चन्द्र के म0नं0-56 से सिकरवार चौराहे तक व श्री अवनीश बाजपेयी व श्री अंशू अवस्थी के घर से सिकरवार चौराहे तक एवं श्री मोहन त्रिपाठी के घर से सिकरवार चौराहे तक आर0सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराने व नाली एवं सीवर की व्यवस्था कराये जाने हेतु काफी प्रयास किये गये। मार्ग बहुत क्षतिग्रस्त अवस्था में होने के कारण निवासियों को मार्ग पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण उक्त मार्ग पर कई दुर्घटनायें भी होती रहती हैं। गांव के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त स्थान पर आर0सी0सी0 रोड, नाली व सीवर का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
08 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी ‘त’

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
1	सर्वश्री लाल बिहारी यादव, किरण पाल कश्यप, राजेन्द्र चौधरी, बलराम यादव, डा0 मान सिंह यादव, मो0 जासमीर अंसारी, आशुतोष सिन्हा, शाहनवाज खान, मुकुल यादव व श्री शाह आलम।	महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- “किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित पर चर्चा नहीं की है :- 1-प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किये जाने तथा हत्या, अपहरण, डकैती, लूट व बलात्कार में लगातार हो रही वृद्धि को रोके जाने के सम्बन्ध में, 2-कुम्भ में मारे गये लोगों को दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में, 3-प्रदेश में जातिगत जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश में दलित, शोषित, पिछड़े व अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में, 6-बिजली की खराब व्यवस्था को सुधारने व विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी तथा बढ़ी हुई विद्युत दरों को कम किये जाने के सम्बन्ध में, 7-महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश के अधिकारियों द्वारा सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में, 10-प्रदेश की 17 जातियों को अनुसूचित जाति के अनुरूप सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में, 11-ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में विधायकों की संस्तुति पर हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

12-क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों को वित्तीय अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में

13-ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की सिंचाई हेतु 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

14-पूर्ववर्ती सरकार की भाँति जिनके पास रहने को मकान नहीं है, उन्हें गरीब आवास योजना के तहत पक्के मकान मुफ्त में दिये जाने के सम्बन्ध में,

15-व्यापारियों को सेवा एवं माल कर से उत्पन्न परेशानी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

16-पिछड़े वर्ग हेतु क्रीमीलेयर आय सीमा पिछली सरकार में किये गये दस लाख रुपये तक किये जाने के सम्बन्ध में,

17-प्रदेश में धान एवं गेहूँ खरीद में हो रही अनियमितताओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

18-सरकार द्वारा नये धान, गेहूँ खरीद केन्द्र खोले जाने एवं खरीद केन्द्रों पर हो रही धांधली के सम्बन्ध में,

19-भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अराजकता फैलाने एवं धर्म के आधार पर अराजकता का माहौल पैदा करने एवं धन की अवैध वसूली पर प्रभावी नियन्त्रण किये जाने के सम्बन्ध में,

20-शिक्षा का स्तर सुधारने के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश की अनियंत्रित यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए चुस्त दुरुस्त किये जाने के सम्बन्ध में,

22-प्रदेश की जर्जर सड़कों पर गड्ढा मुक्ति के नाम पर सरकारी धन की लूट के सम्बन्ध में,

23-पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गरीब लगभग 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन पुनः दिये जाने के सम्बन्ध में,

24-अल्पसंख्यक वर्ग व पिछड़े वर्ग के छात्रों की रुकी हुयी छात्रवृत्ति को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

25-प्रदेश में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के अभाव एवं कालाबाजारी के सम्बन्ध में,

26-किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

27-गन्ना किसानों के गन्ना की खरीद शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने तथा घटतौली, बिचौलिये पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

28-प्रदेश के सभी प्रमुख उद्योगों का प्रदेश से पलायन रोके जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

29-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,

30-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

31-प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोके जाने के सम्बन्ध में,

32-समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर राजनैतिक द्वेष भावना से लगाये जा रहे फर्जी मुकदमे पर रोकथाम लगाये जाने के सम्बन्ध में,

33-प्रदेश के गरीब लड़कियों की शादी के अनुदान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है,

34-प्रदेश के बुनकरों के पावरलूम उद्योग को सुधारने हेतु नियमित विद्युत आपूर्ति और बुनकरों को किसानों की भाँति फ्लैट रेट पर विद्युत दिये जाने के सम्बन्ध में,

35-प्रदेश के बेरोजगार उर्दू मोअल्लिम डिग्री धारकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में,

36-गन्ना क्रय अधिनियम का घोर उल्लंघन एवं माफियाओं द्वारा गन्ना किसानों के शोषण के सम्बन्ध में,

37-छात्र-छात्राओं के लिए लैपटाप योजना को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

38-दिव्यांगों को शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में,

39-पिछड़े वर्गों को संविधान प्रदत्त आरक्षण पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

40-प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में,

41-प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को रोके जाने के सम्बन्ध में,

42-गन्ना किसानों का भुगतान न होने पर गन्ना किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने के सम्बन्ध में,

43-प्रदेश के बेरोजगारों, युवाओं को रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

44-पूरे प्रदेश में बिजली के बिलों में फर्जी बढ़ोत्तरी दिखाकर शोषण बन्द किये जाने के सम्बन्ध में,

45-प्रदेश में बिक रही नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में,

46-मत्स्य पालन हेतु अनाधिकृत रूप से कब्जा हुए तालाबों से अवैध कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में,

47-पिछले वर्ष विधान मण्डल द्वारा सपारित बजट को अब तक न खर्च कर पाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		48-बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में, 49-सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में, 50-बी0पी0एल0 कार्डधारकों को आवश्यकतानुसार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 51-प्रदेश सरकार की तुष्टिकरण नीति से सामाजिक टकराव एवं दुराव के सम्बन्ध में 52-किसानों को पराली (धान-गन्ना) जलाये जाने पर उत्पीड़न के सम्बन्ध में, तथा 53-एक हजार मदरसों एवं एक हजार संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिये जाने के सम्बन्ध में।"
2	श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :- "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमावली में पूर्व की भाँति सेवा शर्तों में धारा-12, धारा-18, धारा-21 को प्रभावी किया जाना, 2-प्रदेश की स्व-पोषित (वित्त विहीन) शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में सेवाशर्तों से आच्छादित किया जाना तथा प्रचलित पूर्ण वेतन का भुगतान जो समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त पर आधारित है, 3-विज्ञापन के आधार पर विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना, 4-अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों का कोरोना अवधि में रोकी गई मंहगाई भत्ते की किश्तें तथा भत्तों को वापस अभी तक न दिया जाना, 5-वित्त विहीन विद्यालयों में अध्ययनरत 06 वर्ष से 14 वर्ष तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें प्रदान किया जाय, 6-व्यवसायिक शिक्षकों को विनियमित किया जाय, 7-माध्यमिक विद्यालयों में एल0टी0ग्रेड के शिक्षकों को सहायक प्रवक्ता पद दिया जाय, 8-गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु हाई स्कूल में भी इण्टर कक्षाओं की तरह प्रयोगात्मक परीक्षा कराया जाय, 9-सभी स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों का अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाना, 10-विनियमितीकरण सम्बन्धी अधिनियम, 2016 की धारा-8 को विलुप्त किया जाय,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

11-वर्ष 2000 के पूर्ण शेष बचे तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करते हुये पेंशन की सुविधा अनुमन्य की जाये,

12-वर्ष 2000 से अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जाना,

13-प्रदेश के सहायता प्राप्त शिक्षक और कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मान्य करना,

14-प्रदेश में शिक्षा विभाग के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरुद्ध उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेशव्यापी संघर्ष चल रहा है। शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की रेट लिस्ट जारी करके खुलासा किया गया है। इस प्रकार भ्रष्टाचार की अनदेखी किया जाना,

15- 01 अप्रैल, 2005 के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ अनुमन्य किया जाना अर्थात् पुरानी पेंशन की बहाली,

16-गुणवत्तापरक शिक्षा के हित में कम्प्यूटर शिक्षक तथा व्यावसायिक शिक्षकों के पद सृजित किया जाना तथा उन्हें पूर्णकालिक शिक्षक के समान कार्य के लिये समान वेतन अनुमन्य किया जाना,

17-महिला विद्यालयों में प्रबन्धकों के अनुचित हस्तक्षेप को रोकने और विद्यालय समय में प्रबन्धक का प्रवेश और उनके निरीक्षण की रोक की व्यवस्था सुनिश्चित करना,

18-छात्र-छात्राओं के लिये लैपटाप योजना को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

19-माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के सम्बन्ध में,

20-प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से चयन किये जाने वाली सड़कों में माननीय सदन के सभी सदस्यों का प्रस्ताव न लिये जाने के सम्बन्ध में,

21-अलीगढ़ मण्डल, चित्रकूट मण्डल, देवीपाटन मण्डल में संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा उप शिक्षा निदेशक के पद को सृजित किया जाना,

22-प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था, राजनैतिक प्रभावों के कारण महिलाओं के उत्पीड़न और जनसाधारण के प्रति अन्याय के प्रतिदिन होने वाले प्रकरणों की चर्चा,

23-प्रदेश के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को जनगणना, बी0एल0ओ0 और निर्वाचन कार्य में लगाने के परिणाम स्वरूप निर्धारित दिवसों अथवा निर्धारित घण्टे का अध्यापन कार्य पूर्ण न होने के कारण छात्रों को अपूर्णनीय क्षति के कारण ऐसे कार्यों से मुक्त किया जाना,

24-राजकीय विद्यालयों में पदोन्नति का बाधित होना तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

25-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्थानान्तरण की विधिक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना,

26-एक हजार मदरसों एवं एक हजार संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिये जाने के सम्बन्ध में,

27-राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

28-चयन बोर्ड द्वारा चयनित शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने और वेतन पाने में भारी भ्रष्टाचार और घूस पर नियन्त्रण न होना,

29-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का स्थानान्तरण नीति की सरल व्यवस्था प्रस्तावित किया जाना तथा महिला शिक्षकों को स्थानान्तरण में विशेष सुविधा प्रदान किया जाना,

30-नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के खाते में पूरे सेवाकाल का राज्यांश जमा किया जाना,

31-करोना अवधि में मृतक शिक्षकों के आश्रितों को उनकी योग्यता के आधार पर सेवायोजन किया जाना तथा ऐसे शिक्षक परिवारों को ग्रेच्युटी की सुविधा भी प्रदान किया जाना,

32-सभी मान्यता प्राप्त माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 14 वर्ष तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य सुविधायें प्रदान किया जाना ,

33-सहायता प्राप्त विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की स्थगित व्यवस्था को समाप्त कर नियुक्ति सुनिश्चित करना तथा शिक्षण संस्थाओं में आउटसोर्सिंग की दूषित प्रणाली समाप्त किया जाना, के सम्बन्ध में,

34-प्रदेश में विद्युत आपूर्ति 24 घण्टे किये जाने के सम्बन्ध में,

35-सभी प्रकार के विद्यालयों में निर्बल आय वर्ग मे छात्रों को पुस्तकों आदि की व्यवस्था सुलभ करने हेतु अनुदान अथवा छात्रवृत्ति स्वीकार करने के सम्बन्ध में,

36-बेरोजगार युवकों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में, तथा

37-सभी स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों का अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाना।"

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।